तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/सीलिंग/3018/2006/बूंदी** **रामकरण बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07-5-2025	**एकल पीठ** **डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य** **उपस्थित :** श्री जी.एस. लखावत, अभिभाषक अपीलार्थी श्री श्रीनिवास बेनीवाल, राजकीय अभिभाषक **आदेश** **1–** हस्तगत् अपील याचिका राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 23 (2–ए) के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सीलिंग), बूंदी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–03–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। **2–** अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी रामकरण के पिता के विरूद्ध राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत प्राधिकृत अधिकारी सहायक कलक्टर, बूंदी ने अपने निर्णय दिनांक 22–12–1975 द्वारा सीलिंग प्रकरण में भूमिधारी के पास अधिशेष भूमि न मानते हुये कार्यवाही ड्रॉप कर दी। इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा धारा 15 (2) के तहत प्रकरण री–ओपन करने उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30–09–1999 द्वारा प्रकरण निर्णीत करते हुए भूमिधारी (अपीलार्थी के पिता चतरा) के पास 9.79 स्टे0 ऐकड़ भूमि सीलिंग अधिशेष घोषित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध रामकरण द्वारा अपील माननीय मण्डल न्यायालय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे मण्डल न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12–02–2001 द्वारा पत्रावली रिमाण्ड कर पुनः निर्णय करने का आदेश प्रदान किया गया। इसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), बूंदी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31–03–2006 द्वारा भूमिधारी के पास कुल 36 स्टे0 एकड़ मानी जाकर इसमें से 30 स्टे0 एकड़ भूमिधारी के खाते में रखते हुए शेष 6 स्टे0 एकड़ भूमि सीलिंग अधिशेष घोषित करने का आदेश प्रदान किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) बूंदी के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मंडल में पेश की गई है। **3–** उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। **4–** विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों अनुसार बहस में अभिकथन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध पहले सीलिंग	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील/सीलिंग/3018/2006/बूंदी</u>** **रामकरण बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण के तहत कार्यवाही की जाकर प्रकरण बंद किया जा चुका था, लेकिन पश्चातवर्ती आदेशों द्वारा उसके खिलाफ गलत रूप से सिलिंग की कार्यवाही की गई है। रिकॉर्ड में दर्ज भूमि भूमिधारी चतरा की पैतृक भूमि है। अपीलार्थी के पिता चतरा को उक्त भूमि अपने पिता गुलाब मीणा से वसीयत के जरिये प्राप्त हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने चतरा के परिवार में केवल 5 सदस्य मानते हुए निर्णय पारित किया है, जबकि उनके परिवार में कुल 8 सदस्य मौजूद थे, जिसमें अपीलांट वयस्क था। चतरा की मृत्यु पश्चात उनकी सभी पुत्रियों को रिकॉर्ड पर लेकर उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी भूल की है। भूमिधारी के खाते में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं है तथा अगर थोड़ी जमीन अधिशेष घोषित भी होती है तो नियम 30(1) के अनुसार वह फ्रेगमेंट का फायदा लेकर शेष भूमि प्राप्त कर सकता है, जिसका मण्डल न्यायालय ने भी अपने निर्णय में उल्लेख किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने मण्डल न्यायालय के निर्देश की पालना न कर भूमि के पैतृक होने बाबत जांच नहीं की और न ही अपीलार्थी को यह साबित करने का अवसर दिया। मण्डल न्यायालय में मात्र 3.55 स्टे0 एकड़ भूमि ही सीलिंग अधिशेष होने की स्थिति स्पष्ट हुई थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण आदेश कर भूमि वर्गीकरण मुताबिक गलत गणित कर 6 स्टे0 एकड़ भूमि अधिशेष घोषित कर दी। भूमिधारी व उसके पुत्र के मध्य न्यायालय आदेश से सन् 1972 में भूमि का बंटवारा होकर नामांतकरण स्वीकृत हो चुके थे, जिसे अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। भूमिधारी के पास दिनांक 01–04–1966 की स्थिति में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय मण्डल न्यायालय के निर्णय की पालना न कर बिना तथ्यों पर पूर्ण विचारण निर्णय अपीलार्थी के विरूद्ध किया गया है, जिसे खारिज किया जाकर अपील स्वीकार की जावे। दिनांक 01–04–1996 को पुत्र बालिग होने की स्थिति में उसे पृथक यूनिट माने जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय को उच्चतर न्यायालय के निर्देश मानना बाध्यकारी होने का कथन करते हुये उनके द्वारा इसके समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1999 आरबीजे पेज 406 तथा 1999 आरआरडी पेज 344 प्रस्तुत की गई। **5–** उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पैतृक होने के संबंध अवसर दिये जाने उपरांत भी कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया। भूमि का पैतृक होना उसे ही साबित करना था। भूमिधारी व उसके पुत्र के खाते में दर्ज भूमि उनकी स्वअर्जित है, जो कि पूर्ववर्ती निर्णय में भी विश्लेषित कर लिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने मण्डल न्यायालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील/सीलिंग/3018/2006/बूंदी</u>** **रामकरण बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के निर्णय की पालना में पुनः परीक्षण व विवेचन कर इस निश्कर्ष की पुष्टि की है। भूमि चतरा को उसके पिता से वसीयत में प्राप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं है। अपीलार्थी को इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय में बताकर मय साक्ष्य दस्तावेज साबित करना चाहिए था। मण्डल न्यायालय द्वारा 3.55 स्टे0 एकड़ भूमि ही अधिशेष होना निर्णीत नहीं किया गया था बल्कि अपीलार्थी के इस तथ्य के परिप्रेक्ष में भूमिधारी की भूमि की पुनः गणना की जाने का निर्देश दिया गया था, जिसकी पालना कर अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि वर्गीकरण के मुताबिक पृथक–पृथक रकबे की पुनः सही रूप से गणना कर 6 स्टे0 एकड़ भूमि अधिशेष पाई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी भूमिधारी चतरा का पुत्र है तथा वह दिनांक 01–04–1966 को वयस्क होकर पृथक भूमि धारित करने के साथ–साथ चतरा पर आश्रित न होकर स्वतंत्र था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने मण्डल न्यायालय के इस क्रम में निर्देश की पालना कर उसकी भूमि को चतरा की भूमि के साथ क्लब कर गणना न करने तथा चतरा की भूमि में पृथक यूनिट प्राप्त करने का अधिकारी न होने का विधिसम्मत निश्कर्ष लिया गया है तथा भूमिधारी के पास भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने की स्थिति में सही प्रकार से सीलिंग अधिशेष घोषित की गई है। बंटवारा दिनांक 01–04–1966 के बाद का होने से मान्य नहीं है। बंटवारा केवल सहखातेदारों के मध्य ही हो सकता है, जबकि सन् 1972 में बंटवारे में पक्षकार रिकॉर्डेड सहखातेदार नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करने के पश्चात मण्डल न्यायालय के निर्देश की पालना करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

6– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय, अपील ज्ञापन के तथ्यों व अधीनस्थ न्यायालय की सीलिंग पत्रावली का गहनता से आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7– भूमिधारी चतरा पुत्र गुलाब तथा उसके पुत्र रामकरण के खाते में जमाबंदी संवत् 2019 लगायत 2022 में ग्राम नीमोठा की क्रमशः 123 बीघा 19 बिस्वा तथा 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि थी तथा चतरा के विरूद्ध चली सीलिंग कार्यवाही में प्राधिकृत अधिकारी सहायक कलक्टर सीलिंग, बूंदी ने भूमिधारी के परिवार में चतरा तथा उसके पुत्र रामकरण को दो यूनिट होना मानकर सीलिंग कार्यवाही ड्रॉप कर दी। कालांतर में राज्य सरकार द्वारा भूमिधारी चतरा के सीलिंग प्रकरण को पुनः खोला जाकर उसके पुत्र रामकरण के खाते में दर्ज भूमि को चतरा की भूमि के साथ जोड़कर परीक्षण करने तथा चतरा व उसके पुत्र के मध्य धारा 53 के तहत हुए बंटवारे को भी विधिक आधार पर परीक्षण करने उपरांत पुनः निर्णय किया जाना निर्देशित करने पर न्यायालय अतिरिक्त जिला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील/सीलिंग/3018/2006/बूंदी</u>** **रामकरण बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कलक्टर बूंदी ने सीलिंग प्रकरण की विस्तृत जांच कर अपने निर्णय दिनांक 30–09–1999 को भूमिधारी चतरा की 9.79 स्टे0 एकड़ भूमि को सरप्लस घोषित की। भूमिधारी चतरा की मृत्यु हो जाने से इस निर्णय के विरूद्ध उसके पुत्र रामकरण द्वारा राजस्व मण्डल न्यायालय में दायर अपील में निर्णय दिनांक 12–02–2001 में अपीलांट को भूमि पैतृक होना साबित करने बाबत पुनः अवसर देने तथा अपीलांट का मात्र 3.55 स्टे0 एकड़ भूमि ही अधिशेष होना बताने पर इस तथ्य का भी परीक्षण करने तथा दिनांक 01–04–1966 को रामकरण की आयु 35 वर्ष होने का विवेचन कर प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करने का निर्देश दिया गया। **8–** राजस्व मण्डल के निर्देश की पालना में अतिरिक्त कलक्टर सीलिंग, बूंदी द्वारा अपीलांट को अपना पक्ष साबित करने हेतु दस्तावेज पेश करने के अनेक अवसर देने के उपरांत भी उसके द्वारा कोई दस्तावेज पेश न करने पर प्रकरण बहस में लिया जाकर बाद समायत बहस दिनांक 31–03–2006 को पुनः निर्णय पारित किया गया, जिसमें भूमिधारी चतरा द्वारा 36 स्टे0 एकड़ भूमि धारित करना पाया जाकर इसमें से 6 स्टे0 एकड़ भूमि अधिशेष घोषित की गई। इस निर्णय में मण्डल न्यायालय के निर्देश एवं अपीलांट पक्ष का स्पष्ट व विस्तृत विवेचन किया जाकर पूर्व निर्णय के निश्कर्ष को भी उद्धत किया गया है। निर्णय अनुसार भूमिधारी चतरा व रामकरण दोनों द्वारा धारित भूमि का पैतृक भूमि न होकर उनकी स्वअर्जित भूमि होना पाया गया। अपीलांट ने अवसर देने उपरांत भी चतरा की भूमि पैतृक होने अथवा उसे यह भूमि अपने पिता गुलाब से वसीयत में मिलने के समर्थन में कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया और न ही हस्तगत अपील में इस आशय का कोई दस्तावेज पेश किया है, अतः अपीलांट का भूमिधारी की भूमि पैतृक होने तथा उसका भी इस भूमि में हिस्सा बनने का क्लेम स्वीकार योग्य नहीं है। निर्णय में रामकरण दिनांक 01–04–1966 को 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि का स्वतंत्र खातेदार था तथा वह 35 वर्ष का होकर भूमिधारी चतरा पर आश्रित न होकर स्वनिर्भर होने से उसकी भूमि भूमिधारी चतरा की भूमि के साथ क्लब करने योग्य नहीं होने का निश्कर्ष भी उचित एवं विधिसम्मत है। इस आधार पर वह भूमिधारी चतरा की भूमि में पृथक यूनिट प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। **9–** पत्रावली तथा संबंधित अभिलेख के परीक्षण अनुसार वर्ष 1972 में चतरा के नाम दर्ज भूमि बाबत चतरा व उसके पुत्र/पौत्रों के मध्य धारा 53 के तहत हुये बंटवारे में रामकरण व उसके पुत्र भूमि के दर्ज सहखातेदार नहीं थे, जबकि बंटवारा सहखातेदारों के मध्य ही हो सकता है। उक्त बंटवारा दिनांक 01–4–1966 तथा दिनांक 31–12–1969 के पश्चात होकर सीलिंग एक्ट प्रावधानानुसार मान्य भी नहीं है। प्रकरण में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील/सीलिंग/3018/2006/बूंदी</u>** **रामकरण बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दोनों निर्णयों दिनांक 30–9–1999 तथा दिनांक 31–3–2006 में इसी विवेचन अनुसार उक्त बंटवारा विधिविरूद्ध व अमान्य घोषित किया गया है। अतः अपीलांट का बंटवारा स्वीकार करने का कथन आधारहीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31–3–2006 के निर्णय में अपीलीय न्यायालय में अधिशेष भूमि बाबत आयी ऑब्जरवेशन के परिपेक्ष में भूमिधारी की भूमि की सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत पुनः व्यवस्थित व विस्तृत गणना कर उसके पास सीलिंग सीमा से 6 स्टे0 भूमि अधिक होना पाया है, अतः अपीलांट का क्लेम खारिज योग्य है। प्रकरण में चतरा के परिवार तथा अनुमत भूमि धारण सीमा की गणना चतरा द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के अनुसार की गई है, जिसके अवलोकन अनुसार धारा 30 सी के तहत उसके परिवार में 5 से अधिक सदस्य न होने से भूमिधारी नियमानुसार 30 स्टे0 एकड़ भूमि धारण हेतु ही योग्य था। अपीलार्थी की परिवार बाबत आपत्ति भी स्वीकार योग्य नहीं है। **10–** समस्त विवेचन अनुसार हम आलौच्य आदेश दिनांक 31–3–2006 का राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सीलिंग, बूंदी द्वारा विधिसम्मत एवं त्रुटिहीन रूप से पारित निर्णय होना मानते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सीलिंग, बूंदी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2006 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)** **सदस्य**	